उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय

हल्द्वानी, नैनीताल

उत्तराखंड

आंतरिक शिकायत समिति

(महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न का निराकरण, निषेध एवं सुधार)

मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)

प्रस्तावना (Introduction)

भारत के संविधान के अनुसार, समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव का निषेध और अवसरों की समानता सार्वजनिक रोजगार के मामले इत्यादि शामिल है। संविधान के समानता के अधिकार को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 अगस्त 1997 को एक आदेश पारित किया जो विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य केस के परिणाम स्वरुप पारित हुआ और जिसे विशाखा निर्देश (Vishakha Guidelines) कहा जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयनुसार भारत के प्रत्येक प्रत्यक्ष या परोक्ष नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी श्रेणी में सूचीबद्ध हो, के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए विशिष्ट नीति का पालन करे।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अनुपालित करते हुए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न को रोकने, प्रतिबंधित करने और दंडित करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का (महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं सुधार) गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय में कार्यरत उन सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इसके अंतर्गत आती हैं।

क्षेत्र (Scope)

विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी महिला कर्मचारी और छात्राएं, चाहे वह किसी भी पद पर हो, इसके कार्यक्षेत्र में आते है। समिति निवारक कार्रवाई के साथ ही साथ शिकायत निवारण निकाय के रूप में भी कार्य करेगा।

परिभाषाएं और स्पष्टीकरण (Definitions & Explanation) : *समिति द्वारा शिकायतों से निपटने के लिए निम्नलिखित परिचालित परिभाषाओं पर विचार किया जाएगा*

- ***यौन उत्पीड़न की परिभाषा:*** *13 अगस्त 1997 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है । सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशोंनुसार यौन उत्पीड़न में ऐसे अवांछित व्यवहार (चाहे सीधे या निहितार्थ से) शामिल हैं जैसे कि*
    - *शारीरिक संपर्क और अग्रिम यौन एहसान के लिए एक मांग या अनुरोध*
    - *पोर्नोग्राफी दिखाना*
    - *यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित, शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण*

वही दूसरी और राष्ट्रीय आयोग द्वारा तैयार कार्यस्थल पर आचार संहिता 1998 के अनुसार कार्य स्थल पर यौन उत्पीडन को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है-:

- *छेडखानी करना*
- *आपत्तिजनक टिप्पणी*
- *अजीब या शर्मिंदगी का कारण बनने या होने की संभावना वाले चुटकुले*
- *लिंग आधारित अपमान*
- *किसी भी तरह से अवांछित यौन स्वर जैसे (टेलीफोन कॉल)*
- *शरीर के किसी भी हिस्से को छूना*
- *अश्लील या अन्य आपत्तिजनक या अपमानजनक चित्र, कार्टून प्रदर्शित करना, पर्चे या बातें*
- *जबरन शारीरिक स्पर्श या छेड़छाड़ और*
- *किसी की इच्छा के विरुद्ध और किसी अन्य कार्य से किसी की निजता का उल्लंघन*

कार्यस्थल: *संगठन के पुरे परिधीय क्षेत्र को कार्य स्थल के रूप में परिभाषित किया जायेगा जिसमें और जहाँ कार्य हेतु कर्मचारियों को बुलाया जायेगा। यद्यपि इसमें वह स्थान शामिल नहीं होगा जो कि संस्थान के परिसर और नियंत्रण से परे है। हालांकि पीड़ित पक्ष को आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।*

कर्मचारी / कर्मचारी: *संस्थान के कर्मचारी के रूप में उन सभी व्यक्तियों को रखा जायेगा जिसे नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कार्य की पूर्ति हेतु नियुक्त किया गया हो।*

छात्र-छात्राएं: *विश्वविद्यालय में नामांकित सभी छात्र-छात्राएं इस समिति के क्षेत्र में सम्मिलित होंगे फिर वह चाहे मुख्य कैंपस या किसी रीजनल सेंटर में अध्ययनरत हो।*

उद्देश्य: *उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय निर्मित इस समिति का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीति लागू करने के साथ-साथ विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है, जिससे लैंगिक भेदभाव और यौन उत्पीड़न को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त यह समिति एक ऐसे सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी, जिससे जागरूकता फ़ैल सके।*

कार्य: *उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय निर्मित इस समिति के निम्नाकित कार्य होंगे-:*

1. *लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।*
2. *कॉलेज समुदाय को लैंगिक मुद्दों पर संवेदनशील बनाने की दिशा में उपाय करना।*
3. *समयबद्ध तरीके से यौन उत्पीड़न के मामलों का निपटारा करना।*
4. *ऐसी योजनाओं को किर्यान्वित करना जिससे उपरोक्त सभी तरह की सामाजिक बुराइयों की पुनरावृत्ति को कम किया जा सके।*

निवारक कार्यवाही

किसी भी प्रकार के यौन शोषण से बचाने के लिए संगठन या समिति द्वारा निवारक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय समय समय पर विभिन्न प्रकार के जागरूकता से सम्बंधित कार्यक्रम आयोजित करेगा जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन में कार्यरत सभी कर्मचारियों के मध्य लैंगिक मुद्दों पर संवेदनशीलता को विकसित करना होगा।

महिला प्रकोष्ठ की संरचना

संस्थान यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए एक समिति का गठन करेगा जिसके प्रमुख पद नीचे सूचीबद्ध हैं-:

- ***सुविधा निकाय:*** *विश्वविद्यालय प्रबंधन महिला प्रकोष्ठ के सुचारू कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा इसके अत्तिरिक्त बैठकों की नियमितता सुनिश्चित करना और यौन उत्पीड़न के मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई करना भी इसी निकाय के प्रमुख कार्य होंगे।*
- ***सदस्य:*** *सुविधा निकाय का सदस्य बनने के लिए ग्यारह व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुमत के आधार पर होगा और समिति की अध्यक्ष भी महिला ही होगी।*
- ***सदस्यों का चयन:*** *सदस्यों का चयन उनकी प्रतिबद्धता और मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर किया जाएगा।*
- ***सदस्यता की अवधि:*** *सदस्यता तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसके बाद सदस्यों का एक नया समूह नियुक्त होगा। हालाँकि कुछ सदस्य यदि चाहें तो एक और वर्ष के लिए अपनी सदस्यता जारी रख सकते हैं परन्तु इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलपति जी का विशेषाधिकार ही मान्य होगा।*
- ***सदस्यता की समाप्ति:*** *किसी सदस्य के निधन या सेवानिवृत्ति या इस्तीफे की स्थिति में सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य यौन उत्पीड़न के किसी मामले में दोषी पाया जाता है तो उस सदस्य की सदस्यता समाप्त कर शेष अवधि तक के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भी स्थानांतरित कर दिया जाएगा।*
- ***नए सदस्यों की नियुक्ति:*** *नए सदस्यों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के नियमानुसार कुलपति जी द्वारा की जाएगी। एक व्यक्ति जो पूर्व में समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया फिर से निर्वाचित किया जा सकता है।*
- ***बैठकें:*** *शिकायतों की प्राप्ति पर अध्यक्ष द्वारा प्रकोष्ठ की आपात बैठक बुलाई जा सकती है। यद्यपि आम तौर पर बैठकें हर दो/तीन माह में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी, चाहे यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज*

किया गया है अथवा नहीं जिससे समस्या के रोकथाम की चर्चा की जा सके साथ ही नई योंजनाओं के निर्माण से सम्बंधित विचार विमर्श किया जाएगा। स्थल और बैठकों का समय समिति के सदस्यों के निर्णयानुसार होगा।

- *कार्यस्थल में यौन उत्पीडन कमेटी से दिशा निर्देश लेकर समय समय पर कार्यप्रणाली में बदलाव किये जायेंगे|*
- ***सदस्यों के संपर्क विवरण:*** *आंतरिक शिकायत समिति के समस्त सदस्यों का संपर्क विवरण (फोन न. एवं मेल आई.डी) एवं वांछित सूचनाएं विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाएगा साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जायेगा ।*

शिकायत निवारण प्रक्रिया

- ***शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:*** *यौन उत्पीडन के किसी भी मामले के लिए प्रकोष्ठ को एक लिखित आवेदन देना होगा जिस पर बाद में विचार किया जाएगा । शिकायत सीधे महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष या किसी महिला प्रकोष्ठ की सदस्य के पास दर्ज की जा सकती है। यदि शिकायत किसी अन्य सदस्य या डीन के माध्यम से की जा रही हो तो जिस व्यक्ति के पास शिकायत की गई है उसे महिला प्रकोष्ठ को सूचना प्राप्त होने के दो कार्य दिवसों के भीतर लाना होगा ।*

  असाधारण मामलों में, तृतीय पक्ष/गवाह पर विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, समिति यह पता लगाएगी कि क्या जिन महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, वे औपचारिक शिकायत दर्ज कराना चाहती हैं अथवा नहीं । शिकायत प्राप्त होने के उपरांत समिति प्रक्रिया के अनुसार इसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ेगी। आवेदन में यौन उत्पीड़न की घटना/घटनाओं के सभी विवरण होने चाहिए।
- ***संपर्क:*** *लिखित शिकायत प्राप्त होने पर महिला प्रकोष्ठ द्वारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा जिससे पीड़ित/आवेदक और प्रथम सूचना व्यक्ति जिसने न्याय के लिए प्रकोष्ठ से संपर्क किया है, से बात की जा सके और शीघ्र अति शीघ्र मामले का समाधान निकला जा सके।*

- ***गोपनीय जांच:*** *यदि अनौपचारिक चर्चा के माध्यम से विवाद का समाधान नहीं किया जा सकता है, तो एक जांच समिति का गठन किया जाएगा जो जांच करके यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि क्या आरोपी प्रथम दृष्टया दोषी है अथवा नहीं । समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जाँच प्रक्रिया को गोपनीय रखा जाये। साथ ही पूरी प्रक्रिया के दौरान पीड़ित महिला को शिकायत वापस लेने का अधिकार होगा यद्यपि समिति यह भी सुनिचित करेगी कि शिकायत वापसी किसी दबाब में न हो ।*

- ***प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत:*** *जांच के दौरान समिति द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को अपनाया जाएगा जिसमें दोनों पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक मंच दिया जाएगा । दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए गवाहों के साथ साक्षात्कार तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा जिसकी एक- एक प्रति दोनों पक्षों को दी जाएगी एवं इसकी एक प्रति प्रबंधन को सिफारिशों हेतु प्रस्तुत की जायगी । समिति द्वारा किए गए किसी भी समझौते के मामले में पीड़ित महिला और प्रतिवादी दोनों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य होना होगा ।*

- ***दंडात्मक सिफारिशें:*** *जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश समिति द्वारा की जाएगी। प्रबंधन द्वारा इनकी समीक्षा की जाएगी और निर्णय संयुक्त रूप में होगा। दंडात्मक कार्यवाही का स्वरुप स्थानांतरण अथवा समाप्ति इत्यादि किसी भी रूप में हो सकता है ।*

- ***सुधारात्मक सिफारिशें:*** *कुलपति की अनुशंसा पर प्रभावी नीति में परिवर्तन/संशोधन या फिर कुछ निवारक कार्रवाई जो भविष्य के लिये अनिवार्य रूप में आवश्यक हो लिए जा सकते है ।*

प्रबंधन दायित्व: *महिलाओं द्वारा अनुशंसित सभी कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बेहतर कार्यप्रणाली क्रियान्वित है। विश्वविद्यालय अपने कार्य क्षेत्र विशेष में कार्य करने वाले सभी लोगो के लिए समान रूप में कटिबद्ध है और समता और समानता के सिद्दांत को* ***सभी पर सभी के लिए*** *पालन करने पर विश्वाश करता है । अपनी इसी सोच को परिलक्षित करते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन सभी को न्याय प्रदान करने का पूरा प्रयास करेगा ।*

आदेश (Order)

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रबंधन की महिला प्रकोष्ठ का गठन विश्वविद्यालय अधिसूचना UOU/VC/226/1376 दिनांक 18/03/2021 के अनुसार माननीय कुलपति जी से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वर्ष २०२१ से अग्रिम तीन वर्षो तक विश्वविद्यालय की आन्तरिक शिकायत समिति का गठन निम्नवत किया जाता है प्रकोष्ठ की मानक संचालन प्रक्रिया संदर्भ के लिए इसके साथ संलग्न है।

क्रम सं	***नाम***	***पद***	***दूरभाष न०***	***ईमेल आईडी***
1	*प्रोफेसर रेनू प्रकाश*	*पीठासीन अधिकारी*	*7302324006*	*rprakash@uou.ac.in*
2	*डॉ0 डिगर सिंह*	*सदस्य*	*9897262526*	*dsfarswan@uou.ac.in*
3	*डॉ0 शालिनी चौधरी*	*सदस्य*	*9456316126*	*schaudhary@uou.ac.in*
4	*श्री मोहित रावत*	*सदस्य*	*05946-286017*	*mrawat@uou.ac.in*
5	*श्रीमती प्रियंका पाण्डे*	*सदस्य*	*9761237775*	*plohani@uou.ac.in*
6	*श्रीमती दीपा फुलारा*	*सदस्य*	*9411159850*	*dfulara@uou.ac.in*
7	*श्री विमल चौहान*	*सदस्य*	*9012582488*	*vchauhan@uou.ac.in*
8	*प्रोफेसर ए0के0 नवीन*	*विधि परामर्शक*	*9412314833*	*aknaveen@uou.ac.in*
9	*श्रीमती रुचिता तिवारी*	*वित्तीय परामर्शक*	*9412037429*	*fc@uou.ac.in*
10	*डॉ0 सीता*	*मनोवैज्ञानिक परामर्शक*	*9456142556*	*seeta@uou.ac.in*
11	*डॉ0 नीरजा सिंह*	*सामाजिक परामर्शक*	*9927145246*	*neerjasingh@uou.ac.in*
छात्र प्रतिनिधि				
क्रम सं	***नाम***	***पद***	***दूरभाष न०***	***ईमेल आईडी***
1	*दीप्ति पन्त*	*छात्र प्रतिनिधि*	*7409070273*	*deeptipandeylgt1@gmail.com*
2	*दीक्षितपाण्डेय*	*छात्र प्रतिनिधि*	*8393860766*	*dixitpandey03@gmail.com*
3	*उदित पाण्डेय*	*छात्रा प्रतिनिधि*	*7906266991*	*Uditpandey83@gmail.com*
मनोनीत सदस्य				
क्रम सं	***नाम***	***पद***	***दूरभाष न०***	***ईमेल आईडी***
1	*श्रीमती कनक चंद*	*समाज सेविका*	*9411138803*	*shreeanandashram@gmail.com*

प्रथम बैठक **कार्यवृत्त**

दिनांक 30 जुलाई, 2021 (शुक्रवार) को पीठासीन अधिकारी, प्रोफेसर रेनू प्रकाश की अध्यक्षता में प्रात: 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न आन्तरिक शिकायत समिति (महिला कर्मचारियों एवं छात्रों को लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण निषेध एवं सुधार) की सत्र 2021 की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया :

1. *प्रोफेसर रेनू प्रकाश - पीठासीन अधिकारी*
2. *डॉ0 डिगर सिंह - सदस्य*
3. *डॉ0 शालिनी चौधरी - सदस्य*
4. *श्री मोहित रावत - सदस्य*
5. *श्रीमती प्रियंका पाण्डे - सदस्य*
6. *श्रीमती दीपा फुलारा - सदस्य*
7. *श्री विमल चौहान - सदस्य*
8. *प्रोफेसर ए0के0 नवीन - विधि परामर्शक*

सर्वप्रथम डॉ0 डिगर सिंह (सदस्य, आन्तरिक शिकायत समिति) द्वारा पीठासीन अधिकार एवं सभागार में उपस्थित समस्त सदस्यों का आन्तरिक शिकायत समिति की प्रथम बैठक में स्वागत किया गया।

तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी, प्रोफेसर रेनू प्रकाश द्वारा बैठक की कार्यसूची, उद्देश्य एवं आगामी कार्य विधियों को विस्तार से आन्तरिक शिकायत समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा कार्यसूची में प्रस्तुत बिन्दुओं का अवलोकन कर निम्नानुसार संस्तुति की गयी:-

1. *पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा शीघ्र ही विश्वविद्यालय मुख्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। कार्यशाला आयोजित किये जाने का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों एवं अध्ययनरत छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना है।*
2. *समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गयी कि आन्तरिक शिकायत समिति को किसी प्रकार की भी सूचना प्राप्त होने की दशा में पीड़ित पक्षकार की सूचना पूरी तरह गोपनीय रखी जायेगी तथा उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।*
3. *समिति द्वारा प्रत्येक दो माह के अन्तराल में आन्तरिक शिकायत समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित किये जाने तथा SHW अर्थात सैक्सुवल हैरेशमेन्ट एट वर्क प्लेस से दिशा-निर्देश लेकर समय-समय पर कार्य प्रणालियों में बदलाव किये जाने पर संस्तुति की गयी।*

4. *विश्वविद्यालय में कार्यरत ऐसी महिला कार्मिक जिनके 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी पूर्ण सुरक्षा एवं देखभाल हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन को शिशु सदन (क्रेच-बेबी डे केयर) की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की समिति द्वारा संस्तुति की गयी।*
5. *समिति द्वारा संस्तुति की गयी कि कोई भी शिकायत कर्ता अपनी शिकायत आन्तरिक शिकायत समिति की ई.मेल. आई.डी. icc@uou.ac.in पर प्रेषित कर सकता है।*
6. *समिति द्वारा संस्तुति की गयी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुरूप विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला कार्मिकों को कार्यस्थल पर समस्त सुविधाएं प्रदत्त करने का प्रयास किया जायेगा।*
7. *बैठक में विधि परामर्शक प्रोफेसर ए0के0 नवीन द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, निवारण, प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 पर विस्तार से जानकारी दी गयी, जिसके अन्तर्गत महिला के अधिकार, आन्तरिक शिकायत समिति के कार्य व शक्तियॉ, लैंगिग उत्पीड़न की परिभाषा एवं आन्तरिक शिकायत समिति का गठन और जॉच, जॉच लम्बित रहने के दौरान कार्यवाही व जॉच रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में समिति के समक्ष विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गयी।*

बैठक की कार्यसूची में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं संस्तुति के उपरान्त डॉ0 डिगर सिंह द्वारा सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न हुई।

05/08/2021

(प्रोफेसर रेनू प्रकाश)
पीठासीन अधिकारी
आन्तरिक शिकायत समिति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

05/08/21

(डॉ0 डिगर सिंह)
सदस्य
आन्तरिक शिकायत समिति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

महिला कर्मियों के बच्चों के लिए बनेगा बेबी केयर

हल्द्वानी। यूओयू में शुक्रवार को आंतरिक शिकायत समिति की बैठक हुई। जिसमें महिला एवं छात्रों के उत्पीड़न से संबंधित विभिन्न समस्याओं और उनके सुधार पर चर्चा की गई। पीठासीन अधिकारी प्रो. रेनू प्रकाश ने उद्देश्य एवं आगामी कार्य विधियों को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा जल्द ही कार्यशाला का आयोजन कर विवि में कार्यरत महिला कर्मचारियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। जिन महिला कर्मचारियों के दस वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए एक क्रैच (शिशु सदन /बेबी केयर) की स्थापना की जाएगी। जिसका प्रस्ताव लाया जाएगा। बताया कि समिति की ई-मेल आईडी @४ड्ड४ ॢ.ल के माध्यम से महिला कर्मचारी एवं छात्राएं लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायत कर सकेंगे। डॉ. डिगर सिंह ने कार्यस्थल में महिलाओं की प्रमुख समस्याओं और उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानकारी दी।

और विशेष श्रेणी कर्मचारियों को ...

अमर उजाला

महिला कर्मचारियों एवं छात्रों की समस्याओं का होगा निराकरण

यूओयू

हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू) में शुक्रवार को महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं सुधार के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर गठित आंतरिक शिकायत समिति की शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें महिला एवं छात्रों के उत्पीड़न से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं उनके सुधार के विषय में विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में पीठासीन अधिकारी प्रोफेसर रेनू प्रकाश ने बताया कि समिति की ओर से शीघ्र एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिससे विवि में कार्यरत महिला कर्मचारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। विवि में कार्यरत महिलाओं के जिनके बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनके लिए एक क्रैच (शिशु सदन/बेबी केयर) की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके होने से शिशु की पूर्ण सुरक्षा की जा सके। इसमें महिलाएं एवं छात्र-छात्राएं लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायत की सूचना समिति को दें सकेंगी। समिति से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। यहां डॉ. डिगर सिंह, डॉ. शालिनी चौधरी, मोहित रावत, दीपक फुलारा, विमल चौहान, विभु कांडपाल आदि मौजूद रहे। (माई सिटी रिपोर्टर)

महिला कर्मियों के बच्चों के लिए बनेगा बेबी केयर

हल्द्वानी। यूओयू में शुक्रवार को आंतरिक शिकायत समिति की बैठक हुई। जिसमें महिला एवं छात्रों के उत्पीड़न से संबंधित विभिन्न समस्याओं और उनके सुधार पर चर्चा की गई। पीठासीन अधिकारी प्रो. रेनू प्रकाश ने उद्देश्य एवं आगामी कार्य विधियों को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा जल्द ही कार्यशाला का आयोजन कर विवि में कार्यरत महिला कर्मचारियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। जिन महिला कर्मचारियों के दस वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए एक क्रैच (शिशु सदन /बेबी केयर) की स्थापना की जाएगी। जिसका प्रस्ताव लाया जाएगा। बताया कि समिति की ई-मेल आईडी @४ङ्क४ ूल के माध्यम से महिला कर्मचारी एवं छात्राएं लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायत कर सकेंगे। डॉ. डिगर सिंह ने कार्यस्थल में महिलाओं की प्रमुख समस्याओं और उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानकारी दी।

और विशेष श्रेणी कर्मचारियों को परिवहन निगम में कार्य करते हुए 15 से 18 साल हो गए हैं, उन्हें सर्विस रिकॉर्ड देखते हुए नियमित किया जाना चाहिए। साथ ही बैठक में 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच कुमाऊं क्षेत्र के सभी प्राथमिक शाखाओं के चुनाव करवाने पर भी सहमति बनी। इस मौके आन सिंह जीना, भूपेंद्र अधिकारी, मनोहर सिंह, रामदत्त पपनै, टीकम सिंह, भूपाल दत्त जोशी, पुष्कर सिंह, किशन लाल, डूंगर सिंह सम्मल आदि मौजूद रहे।

अमर उजाला

महिला कर्मचारियों एवं छात्रों की समस्याओं का होगा निराकरण

यूओयू

हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू) में शुक्रवार को महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं सुधार के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर गठित आंतरिक शिकायत समिति की शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें महिला एवं छात्रों के उत्पीड़न से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं उनके सुधार के विषय में विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में पीठासीन अधिकारी प्रोफेसर रेनू प्रकाश ने बताया कि समिति की ओर से शीघ्र एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिससे विवि में कार्यरत महिला कर्मचारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। विवि में कार्यरत महिलाओं के जिनके बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनके लिए एक क्रैच (शिशु सदन/बेबी केयर) की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके होने से शिशु की पूर्ण सुरक्षा की जा सके। इसमें महिलाएं एवं छात्र-छात्राएं लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायत की सूचना समिति को दें सकेंगी। समिति से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। यहां डॉ. डिगर सिंह, डॉ. शालिनी चौधरी, मोहित रावत, दीपक फुलारा, विमल चौहान, विभु कांडपाल आदि मौजूद रहे। (माई सिटी रिपोर्टर)

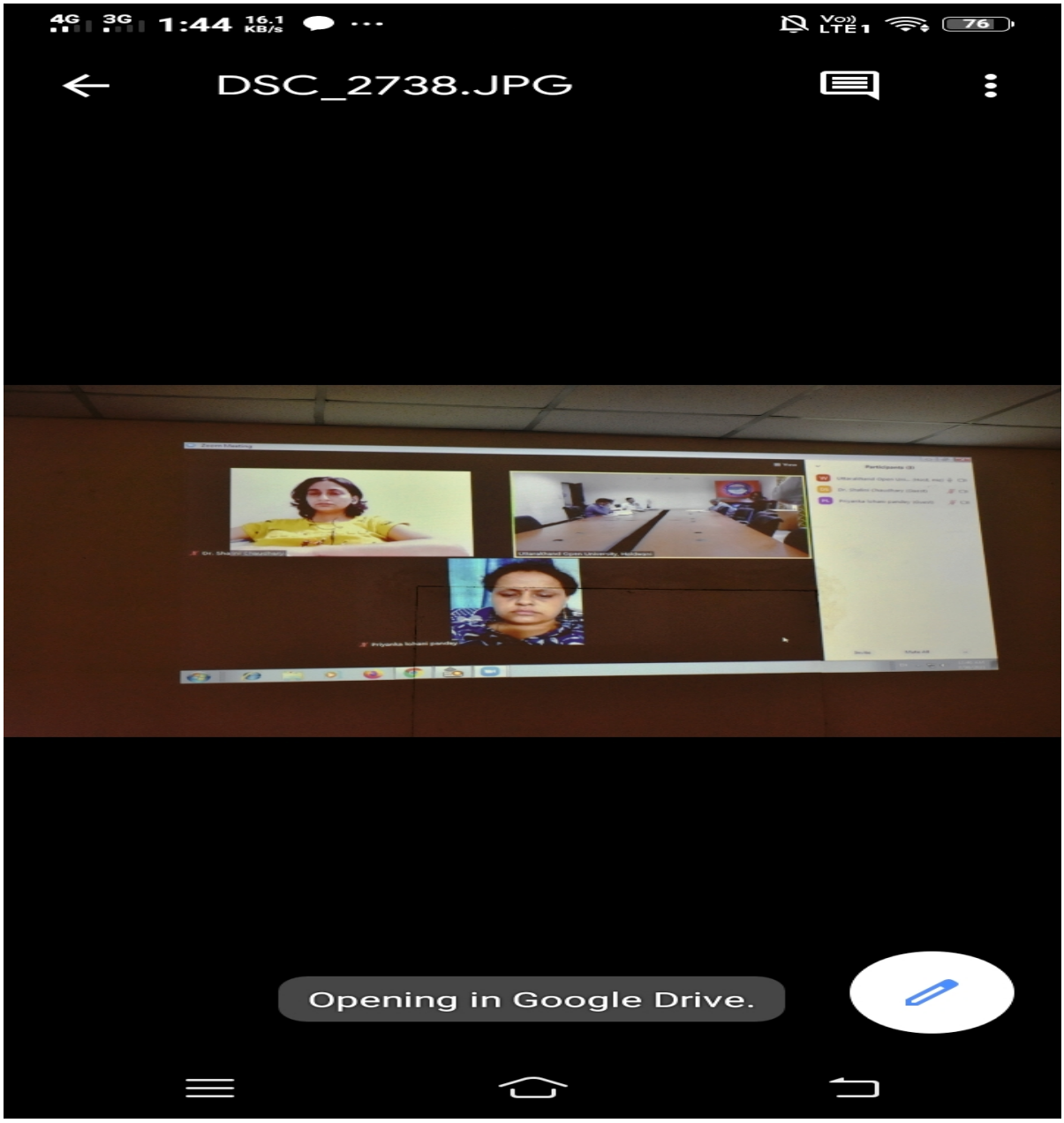
1:44
DSC_2738.JPG
Opening in Google Drive.

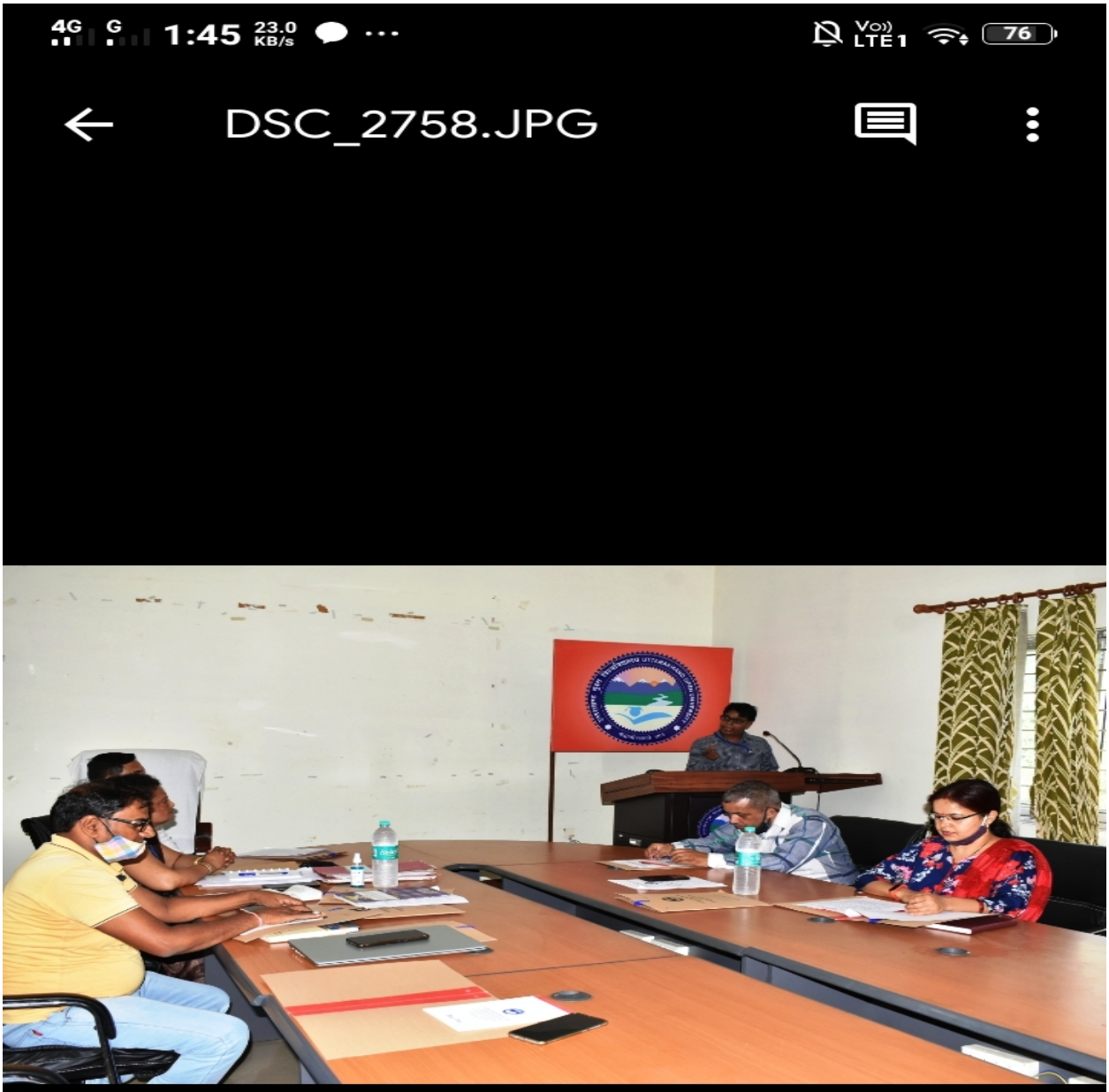

1:45
DSC_2758.JPG

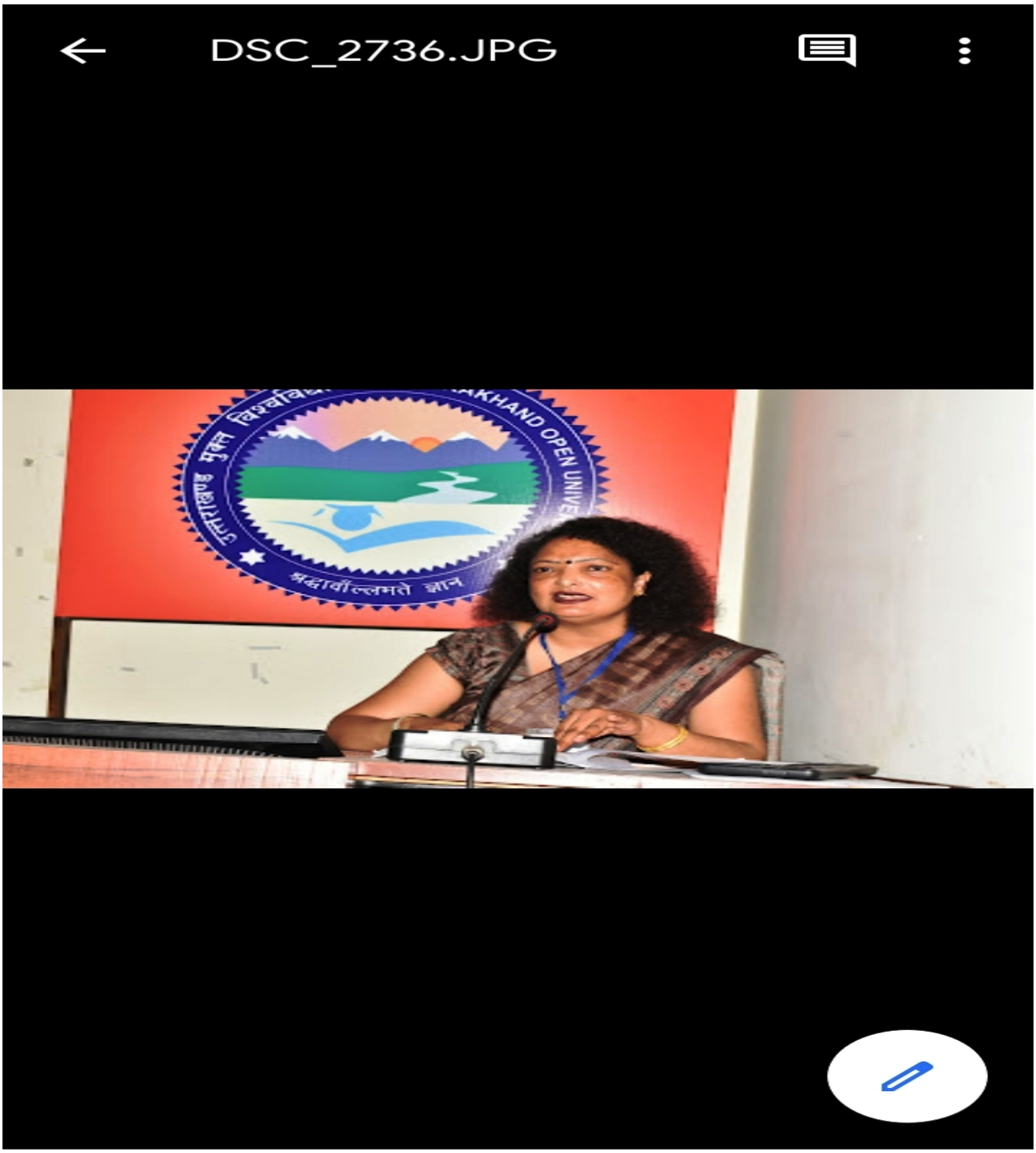

2:40
DSC_2736.JPG

2:40
DSC_2724.JPG
Opening in Google Drive.

2:40
DSC_2741.JPG